संख्या-1/2022/885/30-2-2021-2(19)2007 टी0सी0

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 07 जनवरी, 2022**

विषयः- उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्मिकों को 01.07.2021 से 17 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-30एफए/21-499एफए/74/21 दिनांक 29.11.2021 के अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति (एम्पावर्ड कमेटी) की बैठक दिनांक 23.12.2021 के कार्यवृत्त, जिसकी प्रति सार्वजनकि उद्यम अनुभाग-1 के पृष्ठांकन संख्या-812/44-1-2021 दिनांक 27.12.2021 द्वारा आपको भी प्रेषित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त पत्र एवं एम्पावर्ड कमेटी की संस्तुयितों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) मंहगाई भत्ते की दिनांक 01.07.2018 से देय 9 प्रतिशत, दिनांक 01.01.2019 से देय 12 प्रतिशत एवं दिनांक 01.07.2019 से देय 17 प्रतिशत की किश्तो को निगम की अद्यावधिक वित्तीय क्षमता के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2021 से अनुमन्य किया जाता है।

(2) दिनांक 01.07.2021 के पूर्व की अवधि के लिए उक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ते का कोई ऐरियर देय नही होगा।

(3) मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई किश्तो के यथास्थिति भुगतान की अनुमति के लिये निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रकरण को (एम्पावर्ड कमेटी) के सम्मुख रखने हेतु संदर्भित किया जायेगा।

अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में आने वाला वित्तीय व्यय-भार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई कोई वित्तीय सहायता देय न होगी।

ह0/-
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2022/885(1)/30-2-2021-2(19)/17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उनके पृष्ठांकन संख्या-812/44-1-2021 दिनांक 27.12.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/-
(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in